

## Attachement 2.43 (A)

### राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

#### भाग-1

#### (प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / रकीम लोल्टी करबीनगर मोटर मार्ग के विरतार का निर्माण।

का संक्षिप्त विवरण।

ख) 1:50,000 रकेल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के संलग्न है।

वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

ग) परियोजना की लागत।

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य

₹0 25.20 लाख

सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :-

संलग्न है।

कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।

2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :-

0.188 हेक्टेक्टर, कुल 0.188 हेक्टेक्टर वन भूमि

3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

शून्य

क) परिवारों की संख्या :-

शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

शून्य

ग) पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय खीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।

4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)

संलग्न है।

5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचन बद्धता (वचन बद्धता संलग्न की जाये)

6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का अनुसूची संलग्न है।

तिथि 15.12.2017

स्थान - थराली

(इं० विजय कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

बक्सली (चमोली)